समाहरणालय, सहरसा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

— :: अल्पकालीन निविदा आमंत्रण की सूचना ::—

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति के मद्धेनजर योग्य परिवारों से प्राप्त आवेदन के आलोक में **RTPS** के माध्यम से तैयार राशन कार्ड मुद्रण कराया जाना है। इस निविदा के दर निर्धारण हेतु इच्छुक पंजीकृत प्रतिष्ठान से दिनांक 20.06.2020 को अपराह्न 05.00 बजे तक जिला आपूर्ति शाखा, सहरसा में अपनी तकनीकि एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में निबंधित डाक से कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं। जिसपर निर्णय हेतु दिनांक 23.06.2020. के अपराह्न 03.00 बजे तक जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक होगी, जिसमें निविदा समर्पित करने वाले प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। तकनीकि निविदा में सफल निविदादाता का हीं वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

निविदा से संबंधित सूचना जिला के बेबसाईट **https://saharsa.nic.in** पर उपलब्ध है।

संभावित कार्य का विवरण :–

1. RTPS के माध्यम से तैयार पी0डी0एफ0 के अनुसार वर्ष 2020 से 2025 के लिए राशन कार्ड एवं राशन कार्ड की वितरण पंजी का मुद्रण किया जाएगा। (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मानक के अनुसार)।
2. राशन कार्ड की लम्बाई 15 से०मी० एवं चौड़ाई 11 से0मी0 के आकार में परिवार के सदस्यों एवं मुखिया (गृहस्थी का मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला होगी। यदि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला हो तो पुरूष गृहस्थी का मुखिया होगा। जैसे ही महिला का उम्र 18 वर्ष होगा महिला गृहस्थी की मुखिया होगी।) का सूची के साथ राशन कार्ड का मुद्रण किया जाएगा।
3. परिवार के सदस्यों की सूची के साथ राशन कार्ड की विवरणी पंजी का मुद्रण किया जाएगा।
4. राशन कार्ड का प्रथम पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ 300 जी0एस0एम0 प्लास्टिक कोटेड ग्रे कलर का होगा, और 12 पृष्ठों का राशन कार्ड के अन्दर का पृष्ठ की मोटाई 75 जी0एस0एम0 का होगा।

निविदा के लिए निम्नलिखित शर्ते निर्धारित की जाती है :–

(क) तकनीकि निविदा की शर्ते :–

1. फर्म को GST विभाग से कम से कम तीन वर्षों से निबंधित होने का प्रमाण पत्र तथा **PAN No.** देना होगा। अद्यतन **Audit & Balance Sheet** के साथ कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 10000000.00 (एक करोड़) रूपये **Turn over** का **Audited Report** संलग्न करना होगा।
2. तकनिकी निविदा के साथ जिला पदाधिकारी, सहरसा के पक्ष में 25000.00 (पच्ची हजार) रूपये मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
3. फर्म को लेजर प्रिन्टर से मुद्रण कार्यो का पाँच वर्षो का अनुभव एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. **ESIC** एवं **EPFO** का एक वर्ष से निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आवंटित कार्य के **Sub-Contracting** की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी। इस आशय का **Under taking** तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा यदि किसी भी समय **Sub-Contracting** किया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हुए एवं जमा की गई जमानत की राशि को जब्त करते हुए फर्म पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
6. तकनिकी निविदा खोलने के समय जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा दिए गए राशन कार्ड का नमूना के अनुरूप मुद्रित राशन कार्ड का नमूना संलग्न करना होगा।
7. विभाग से प्राप्त राशन कार्ड का नमूना जिला आपूर्ति कार्यालय, सहरसा में उपलब्ध है, जिसे किसी भी कार्य दिवस अवधि में देखा जा सकता है।
8. निविदादाता फर्म को इस आशय का शपथ पत्र मूल रूप में देना होगा कि उन्हें केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।

6

Scanned with CamScanner

9. निविदादाता फर्म को **Shop & Establishment** एवं **SSI** में निबंधित होना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता फर्म को **ISO 9001:2008** का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
11. सफल निविदादाता को आदेश निर्गत करने के 10 दिनों के अन्दर जिला आपूर्ति कार्यालय, सहरसा में निर्देशानुसार मुद्रित राशन कार्ड की आपूर्ति करना होगी तथा इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
12. गुणवत्ता में कमी अथवा आपूर्ति में बिलंब के लिए आपूर्तिकर्त्ता जिम्मेवार होगा एवं तदनुसार उनके विपत्र का भुगतान स्थगित किया जा सकेगा अथवा विपत्र से समानुपातिक राशि की कटौती की जा सकेगी।
13. सभी करों की स्त्रोत पर कटौती कर भुगतान की जाएगी।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्त्तें :–

1. तकनिकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म का हीं वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जाएगा तथा सभी निविदादाता कर सहित वित्तीय निविदा देंगे।
2. सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन के उपरानत भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित करों की कटौती कर ली जाएगी। कार्य संपादन हेतु कोई अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी।
3. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन विलम्ब के लिए 1000 (एक हजार) की दर से संबंधित फर्म के विपत्र से कटौती की जाएगी तथा एक सप्ताह के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत की राशि जब्त कर संस्था को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।
4. उपर्युक्त शर्त्तों के अलावे समय–समय पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तों/निर्देशों का पालन करना होगा।

(ग) सामान्य शर्त्तें :–

1. वित्तीय निविदा में संबंधित कार्यों का सभी करों सहित दर अलग–अलग दर्ज करना होगा।
2. बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने, संशोधित करने तथा कार्यों की अधिकता के कारण समय से कार्यों का निष्पादन कराने हेतु कार्य का आवंटन एक से अधिक फर्म को **L 1** के दर पर करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी विवाद की स्थिति में उनका निर्णय अंतिम होगा।

Kal 4/6/2020
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक.......467......../आपूर्ति, दिनांक...04....जून, 2020 ई0।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Kal 4/6/2020
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

Scanned with CamScanner